मु.नं.–26 / 2021 GCMS ID-2021/46 ता.रजु–01.04.2021

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

प्रभु दयाल निवासी मकान नं. 26, संतोष नगर, पुरोहित जी की टापरी, कोटा, मो.नं. 9828950951 – अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय दिनांक–26.08.2021

1. वैश्विक महामारी कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने की व्यवस्थाओं में एवं प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ।
2. अपीलार्थी दिनांक 14.06.2021, 21.06.2021, 28.06.2021, 05.07.2021, 12.07.2021, 19. 07.2021, 26.07.21, 05.08.21, 16.08.21, 25.08.21, 26.08.21 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर खसरा नं. 1120 ग्राम सलेमपुर तहसील सपोटरा की संवत् 2028 से 2077 तक की जमाबंदियां, गिरदावरियां, मिलान क्षेत्रफल, दिनांक 01.01.2008 से 08.02.2021 तक उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में हुए परिवर्तन / हस्तांतरण / विक्रय की नकल, दिनांक 01.1.2008 से 08.02.2021 तक स्वीकृत नामांतरकरण की प्रतियां, नक्शा ट्रेस आदि कुल 7 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
4. प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर पेश कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध तहसीलदार सपोटरा से होने के कारण अपीलार्थी का आवेदन पत्र क्रमांक 107 दिनांक 15.02.2021 द्वारा निर्धारित समयावधि में तहसीलदार, सपोटरा को अंतरित कर दिया गया था जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को प्रेषित की गई थी। इसके अतिरिक्त कार्यालय में उपलब्ध 12 पृष्ठीय सूचना पत्रांक 226 दिनांक 26.03.2021 द्वारा अपीलार्थी को निःशुल्क प्रेषित की जा चुकी हैं। अंत में अपील अपीलार्थी ड्रॉप फरमाने का निवेदन किया है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को अपने विनिश्चय से अवगत करवा दिया गया है एवं उनके कार्यालय में उपलब्ध 12 पृष्ठीय सूचना अपीलार्थी को निःशुल्क प्रेषित कर दी गई है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार पेश नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी को बार–बार अवसर दिये जाने एवं उसके उपस्थित नहीं आने से यह विदित होता है कि अपीलार्थी उक्त सूचना से संतुष्ट है। परंतु तहसीलदार सपोटरा से अपीलोत्तर अपेक्षित है।
7. अस्तु अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। तहसीलदार सपोटरा को आदेश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवायें।
8. निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्षकारान को प्रेषित हो।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 26.08.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली